राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2120/2016...जिला...........अलवर..

उनवान – मैसर्स विजय सोलवेक्स लि0, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी, अलवर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन वृत, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 61 एवं 75(8) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा. विवादित मांग राशि रू0 16,14,933/– में से रू0 15,87,428/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया एवं मांग राशि रू0 15,87,428/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4)/83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 15,87,428/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। 07/11/16 लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2120/2016..जिला..........अलवर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/2016	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रतिवर्ष भारी मात्रा में राज्य के बाहर Musterd oil cake, mustered oil, soya oil, soya refind oil, refind pam oil, til-oil, solvent mustered oil, pamolin oil का विनिर्माण करते हुए विक्रय ''एफ'' फार्म (SOS, consignment Sales against F Form) के समर्थन से किया जाता है, ''एफ'' फॉर्म सरसों तेल से संबंधित है। व्यवहारी की लेखा पस्तकों में दर्ज माल की तुलना में भौतिक सत्यापन पर सरसों तेल 41.427 मैटिक टन, सोयाबीन रिफाईन्ड ऑयल 9.623 मैटिक टन का अधिक, अघोषित तथा अलेखांकित पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 75(8) के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर तथा शास्ति का आरोपण किया है। इसी प्रकार लेखा पुस्तकों में दर्ज माल की तुलना में भौतिक सत्यापन पर रेपसीड तेल 2.15 मैटिक टन, Refind rice brand oil 24.820 मैटिक टन, रिफाइण्ड ब्लीच्ड एण्ड डिओडराइजड पामोलीन 7.983 मैटिक टन एवं मस्टर्ड डिओल्ड केक 19.482 मैटिक टन का माल कम पाये जाने से बिना बिल जारी किये गये उचन्त विक्रय मानते हुए करापवंचना की मंशा के आधार पर 5 प्रतिशत की दर से कर, शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 01.04.2015 से 27.08.2015 की अवधि का आदेश दिनांक 04.07.2016 पारित करते हुए 16,14,933/– की वसूली की मांग निर्धारण अधिकारी ने कायम की। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। दोनों अवर अधिकारियों के आदेशों का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशि को स्थगित किया जाना न्यायहित में प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील को मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज किया जाता है। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 07/11/16 (राजीव चौधरी) सदस्य 7.11.2016 (मदन लाल) सदस्य	